06/3/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादिया मुताबिक इकबाल दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. गुरदीप कौर पत्नि गुरदर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादिया

बनाम

1. अमर सेतिया पुत्र भगवानदास जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील हनुमानगढ़।
2. रेणु सेतिया पत्नि अमर सेतिया जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
4. बैंक ऑफ बड़ोदा हनुमानगढ़ टाउन।
5. डीएलबी बैंक सतीपुरा।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 37 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 49 आरटीए सपठित धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादिया
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. राजपैराकार — प्रतिवादी सं. 3 स्टेट

निर्णय **दिनांक :–06.03.2018**

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादिया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 49 आरटीए सपठित धारा 88 आरटीए के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया है कि वादिया के नाम चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 प.न. 144/258 मु.न. 33 कि.न. 1, 2, 9, 10 कुल 1.012 है0 नाली प्रथम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम चक 43 एनजीसी खाता सं. 5/4 प.न. 143/257 मु.न. 28 कि.न. 25 प.न. 143/258 मु.न. 33 कित्रपत्र 4, 5, 6 कुल 1.012 है0 नाली प्रथम मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादिया ने अपने नाम दर्ज चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 मे 1.012 है0 भूमि विद्यासागर पुत्र पृथ्वीसिंह से जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। विद्यासागर ने काफी सालो से उक्त भूमि का तबादला प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ कर रखा था तथा कब्जा काश्त भी उसी अनुसार था अब विद्यासागर ने अपनी भूमि वादिया को बैय कर दी तथा बैयनामा के रोज कब्जा काश्त भी मुताबिक तबादला वादिया को सम्भला दिया था जो आज भी बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। उक्त दोनो

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

खातो की भूमि समान किस्म व समान तादादी की भूमि है जिसका वादिया व प्रतिवादीगण ने आपस मे सहमति से तबादला कर रखा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि अभी तक मुताबिक तबादला दर्ज नही हुई है। अतः वाद वादिया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिया डिक्री किया जावे कि घोषित किया जावे कि वादिया चक 43 एनजीसी खाता सं. 5/4 मे प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 1.012 है0 मय गैरमुमकिन भूमि की खातेदार है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादिया के नाम दर्ज चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 मे दर्ज 1.012 है0 भूमि के बहिरसा बराबर के खातेदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर श्री सुरेन्द्र सिहाग विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबालदावा प्रस्तुत किया। जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने इकबालदावा कथन किया कि दावा मे वर्णित समस्त स्वीकार है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है।

राजपैरोकार प्रतिवादी सं0 3 ने जवाब स्टेट मे कथन किया कि वादपत्र की मद सं. 1 वादिया स्वयं को सिद्ध करना है। वादपत्र की मद सं. 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। वादपत्र की मद सं. 3 व 4 लाइलमी है। वादपत्र मद सं. 5 तकमीलन है। वादपत्र की मद सं. 6 कानूनी है। अतः जवाब प्रस्तुत निवेदन है कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र निस्तारण किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया द्वारा वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादिया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा दौराने बहस इकबालदावा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादिया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने को आपत्ति जाहिर नही करते हुए वाद वादिया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार स्टेट ने दौराने बहस राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र निस्तारण किये जाने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादिया के नाम चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 प.न. 144/258 मु.न. 33 कि.न. 1, 2, 9, 10 कुल 1.012 है0 नाली प्रथम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम चक 43 एनजीसी खाता सं. 5/4 प.न. 143/257 मु.न. 28 कि.न. 25 प.न. 143/258 मु.न. 33 कित्रपत्र 4, 5, 6 कुल 1.012 है0 नाली प्रथम मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादिया ने अपने नाम दर्ज चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 मे 1.012 है0 भूमि विद्यासागर पुत्र पृथ्वीसिंह से

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(4)

जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। विद्यासागर ने काफी सालो से उक्त भूमि का तबादला प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ कर रखा था तथा कब्जा काश्त भी उसी अनुसार था अब विद्यासागर ने अपनी भूमि वादिया को बैय कर दी तथा बैयनामा के रोज कब्जा काश्त भी मुताबिक तबादला वादिया को सम्भला दिया था। उक्त दोनो खातो की भूमि समान किस्म व समान तादादी की भूमि है जिसका वादिया व प्रतिवादीगण ने आपस मे सहमति से तबादला कर रखा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि अभी तक मुताबिक तबादला दर्ज नही हुई है। वादपत्र मे मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध चाहा गया है चूंकि उक्त वर्णित भूमि का तबादला वादिया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मध्य हुआ है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने इकबालदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति देते हुए वादपत्र डिक्री किये जाने कोई आपत्ति जाहिर नही की है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादिया गुरदीपकौर को चक 43 एनजीरी खाता सं. 5/4 मे प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 1.012 है0 मय गैरमुमकिन भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 (अमर सेतिया व रेणु सेतिया) को चक 42 एनजीरी खाता सं. 83/73 मे वादिया के नाम दर्ज 1.012 है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादिया /प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 08/2018

1. गुरदीप कौर पत्नि गुरदर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——वादिया

बनाम

1. अमर सेतिया पुत्र भगवानदास जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील हनुमानगढ़।
2. रेणु सेतिया पत्नि अमर सेतिया जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
4. बैंक ऑफ बड़ोदा हनुमानगढ़ टाउन।
5. डीएलबी बैंक सतीपुरा।

——प्रतिवादीगण

वाद संख्या 37 सन् 2018 निर्णय दिनांक 06.03.2018
दावा अन्तर्गत धारा 49 आरटीए सपठित धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादिया श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 श्री सुरेन्द्र सिहाग एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 3 की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद वादिया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादिया गुरदीपकौर को चक 43 एनजीसी खाता सं. 5/4 मे प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 1.012 है0 मय गैरमुमकिन भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 (अमर सेतिया व रेणु सेतिया) को चक 42 एनजीसी खाता सं. 83/73 मे वादिया के नाम दर्ज 1.012 है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। आज दिनांक 06.03.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner